

2/10

पत्राचारिका है। कर्मचारक परीक्षा 28/10/19 को
कोटा की गई। पत्राचारिका के अन्तर्गत कोटा के
उत्तम 28/10/19 को पत्राचारिका

कॉमि. कलक्टर एम्स
कॉमि. जिला नजिस्ट्रेट
मालवाड़ (राज.)

28/6/0

पत्राचारिका है। खिल प्राथी उपस्थित प्राप्ति
पर कदम लुकी गई। विधान कर्मचारक द्वारा
आरोप किया गया कि अ-प-प्राप्ति काल के
व्यस्त। होने के काल न्यायालय हाजा के उपस्थित
नहीं हो सका तथा केरे द्वारा कर्मचारक के न्याया
के उपस्थित होने की दियता भी नहीं की गई
इसलिए माननीय न्याया. द्वारा अफीम अ. द. अ.
फैरी के अफीम आरोप के अन्तर्गत दिने गये
काल अफीम पुनः स्कोर पर गये जो क-पथा
अफीम के अन्तर्गत काल होने के साथ-साथ
प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रदत्त विधि
कर्मचारके के भी कल्पित हो जायेगा। एकरे द्वारा
पत्राचारिका का आवलोकन किया गया कदम विधान
कर्मचारक पर मनन किया गया।-प्राप्ति के
अफीम पुनः पर किया जाना प्रथम दृष्टिया
उचित प्रतीत होता है। प्राप्ति स्वीकार किया
जाता है। अफीम पुनः नरक पर पर की जाने
प्राप्ति फल शुका होड से लगन मूल
कर्मचारिका

कॉमि. कलक्टर एम्स
कॉमि. जिला नजिस्ट्रेट
मालवाड़ (राज.)

